"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 162] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 14 जुलाई 2005—आषाढ़ 23, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई, 2005 (आषाढ़ 23, 1927)

क्रमांक-8670/विधान/2005.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 8 सन् 2005) जो दिनांक 14 जुलाई, 2005 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 8 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2005

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (1983 का क्रमांक 29) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2005 कहा जावेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषा.

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

"मूल अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (1983 का क्रमांक 29).

धारा 2 एवं 20 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) (क) एवं धारा 20 की उपधारा (1) में शब्दों एवं अंकों "माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1940 (1940 का क्रमांक 10)" के स्थान पर अंक एवं शब्द "माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का क्रमांक 26) स्थापित किया जावे."

धारा 13 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 13 में शब्द "भोपाल" के स्थान पर शब्द "रायपुर" स्थापित किया जावे.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (1983 का क्रमांक 29) के प्रावधानों को पूर्ण प्रभाव दिये जाने एवं शासन अथवा सार्वजनिक उपक्रम एवं ठेकेदार के मध्य के विवाद को छत्तीसगढ़ राज्य में ही निराकृत करने का निर्णय लिया गया है. इस प्रयोजन हेतु छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक 29 जून, 2005

बृजमोहन अग्रवाल
विधि और विधायी कार्य मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा-2 एवं धारा-20 तथा धारा-13 के सुसंगत उपाबंध.

* *

परिभाषाएं 2 (1) (क) धारा - 2 — माध्यस्थम अधिकरण से अभिप्रेत है माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1940 (1940 का सं. 10)

* *

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन धारा-20 — 20(1) अधिकरण के गठन की तारीख से, और माध्यस्थम अधिनियम, 1940 (1940 का सं. 10) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी करार या पृथा में किसी तत्प्रतिकूल बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, किसी भी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे विवाद को ग्रहण करने या विनिश्चित करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन अधिकरण द्वारा किया जा सकता है.

* *

बैठक का स्थान धारा-13 — 13. अधिकरण अपने समक्ष के कार्य का संपादन करने के लिए सामान्यत: अपनी बैठकें भोपाल में करेगा और जब कभी आवश्यक या सुविधाजनक समझा जाए सुनवाई के लिए या स्थल निरीक्षण के लिए अपनी बैठकें राज्य के भीतर किसी ऐसे अन्य स्थान पर भी कर सकेगा जैसा कि अध्यक्ष अनुज्ञात करे.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.